२२.०४.२४ प्रार्थी की ओर से मूल वाद में एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज यह पत्रावली पेश मैं की गई। प्रार्थी द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर नोट-प्रेस के आधार पर वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र खारिज किया जा चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:34:17 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना